5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

161

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं.   /2016 पुनरीक्षण

~~निग – II-16~~
निग – 612 – II-16

1. श्रीमती तृप्ति पाठक पुत्री स्व. मनोहरराव पाठक
2. शान्तनु पाठक पुत्र. स्व. मनोहरराव पाठक
3 आशुतोष पाठक पुत्र स्व. मनोहरराव पाठक
4. पवन पाठक पुत्र स्व. मनोहरराव पाठक
5. श्रीमती वसुधा पाठक पत्नी स्व. मनोहरराव पाठक
6. श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मुहत्तकार प. पवन कुमार पुत्र स्व. श्री मनोहरराव पाठक सभी निवीसगण स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड नं. 8 दमोह तह. व जिला दमोह (म.प्र.)

..........आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि. 19-2-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-2-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
19-2-16 एडवोकेट
ग्वालियर

विरूद्ध

1. सुभाष पाठक पुत्र स्व. बसंत पाठक निवासी जे.डी.ए. स्कीम नंबर 338/14 विजय नगर घडी चौक के आगे कमल बिहार के पास जबलपुर
2. श्रीमती शोभना जोशी पत्नी रवीन्द्र जोशी निवासी 13 विनय चावला कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी प्लाट नं. 95/5 तरूण भारत कॉम्पलेक्स अंधेरी (पूर्व) मुंबई
3. श्रीमती चित्रा कविश्वर पत्नी किशोर कविश्वर निवासी बी–20 इंडस्ट्रीयल एप्लाई सोसायटी न्यू सामा रोड बड़ोदा गुजरात
4. सुधाकर राव पाठक पुत्र श्रीनाथराव पाठक निवासी स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड दमोह तह. व जिला दमोह म.प्र.

5. श्रीमती सुचेता अवर्डीकर पत्नी उल्लास अवर्डीकर, अवर्डीकर का बाडा जटार साहब की गली लश्कर ग्वालियर
6. श्रीमती नम्रता आठले पत्नी सुधीर आठले निवासी पुलिस थाने के पीछे वाईजा मेडिकल स्टोर बिल्डिंग बूरी बोरी, नागपुर महाराष्ट्र
7. श्रीमती अपेक्षा जोशी पत्नी जयंत जोशी द्वारा सुधारक पाठक, निवासी सिविल वार्ड–8, स्टेशन चौक दमोह तहसील व जिला दमोह
8. श्रीमती निधि अम्बलकर पत्नी नितिन कुमार 360–3 आर.डी. रेवेन्यू अपार्टमेंटस 319 चुलाहा विस्टा सी.ए., यू.एस.ए. 91910
9. पदमाकर राव पाठक पुत्र स्व. श्रीनाथ राव स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड नंबर 8 दमोह तहसील व जिला दमोह म.प्र.
10. श्रीमती प्रगति पाठक पत्नी पदमाकर पाठक निवासी स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड 8, दमोह तहसील व जिला दमोह म.प्र.
11. श्रीमती पुष्पलता केकतपुरा द्वारा दिलीप केकतपुर साकिन – प्लाट नंबर 171, सुरवे नगर जयतला कांसिंग चौक के पास नागपुर महाराष्ट्र
12. विनय नगर सप्तर्षि पुत्र पुरूषोत्तम राव निवासी 743ए, टाट मिल चौक जन्माष्टमी कालोनी कानपुर
13. अरूण कुमार सप्तर्षि पुत्र स्व. पुरूषोत्तम राव बी–151 वैशाली नगर जयपुर राजस्थान
14. अनिल कुमार सप्तर्षि पुत्र स्व. पुरूषोत्तम राव फ्लेट नं. 103, सृष्टि अपार्टमेंट फूलबाग के पास रेल्वे क्रासिंग, ग्वालियर

R-612 ए/16

15. योगेश सप्तर्षि
साकिन के. 20/239 लाल घाट राजमंदिर वाराणसी उ.प्र.

16. श्रीमती मीना नाईक पत्नी डा. जी.व्ही. नाईक
साकिन – प्रायवेट प्रेक्टिसनर एक्सरे क्लीनिक महावीर चौक जालना, औरंगाबाद महाराष्ट्र

17. श्रीमती लता मुसारी पत्नी सुरेश राव
एम.एल.बी. रोड, शिंदे की छावनी परूस्कर का बाडा, जीवन ज्योति नर्सिंग होम के सामने लश्कर ग्वालियर

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार पथरिया जिला दमोह द्वारा रा.प्र.कं. 28/अ–27 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 17.12.2015 एवं उसके पश्चात की जा रही कार्यवाही अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिकी के अनुसार धारा 54 सी.पी.सी. के अंतर्गत बंटवारा हेतु माननीय कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया गया । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को उक्त प्रकरण श्रवण किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में आवेदक द्वारा पूर्व में तहसील न्यायालय के समक्ष इसी भूमि का बंटवारा कराने हेतु एक राजस्व प्र.कं. 15अ/27 वर्ष 2003–04 प्रस्तुत किया

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 612-दो/16 जिला-दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-10-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अधि0 श्री आर0एस0 सेंगर, अनावेदक क्रमांक 5 स्वयं उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक कं. 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पर तथा गुणदोष पर उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण जबाव हेतु नियत किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का निराकरण होना है जहां आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये । सदस्य	